कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 8ITC / बिजनौर / 15797 / यूपी–162 / 2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 07, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : बिजनौर में नहटौर–नूरपुर–ढाकी–अमरोहा मार्ग किमी0 26.400 की दायीं पटरी पर ग्राम–आजमपुर उर्फ जमनगढ़ के खसरा सं0–147 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : आपके कार्यालय का पत्रांक–3011 / 22–2, दिनांक 18.12.15

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें / अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं है, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम अंकित नही किया गया है।

2– प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संस्तुति अंकित नहीं की गई है।

3– प्रस्तावित वनभूमि को संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है।

4– परियोजना की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है।

5– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 स्केल के टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें, एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित हो।

8– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का अक्षांश व देशान्तर अंकित डिजिटल मानचित्र, जो प्रभागीय निदेशक द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।

9– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दृष्टिकोण से प्रभागीय निदेशक की उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

10– क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा किये जाने की वचनबद्धता में मंगललिपि फॉर्म हाउस के अन्तर्राष्ट्रीय ... निर्माण का उल्लेख किया गया है, इस प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्पष्ट वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

11– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता में भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुई धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख अंकित नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संशोधित वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

12– चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र रफ पेपर पर बनाया गया है, ऐसा अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है। सुसंगत प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

13– लो0नि0वि0 की अनापत्ति की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई है।

14– मक डिस्पोज़ल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

15– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र के साथ सील अंकित नहीं है। सील अंकित करायें।

16– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मैप, अनुमोदित ले–आउट प्लान से मेल नहीं खाती है। अनुमोदित ले–आउट प्लान से मेल खाता डिजिटल मैप, जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

17– परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी न पड़ने के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

18– पावर ऑफ अटार्नी की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

19– प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय–सूची संलग्न नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त कर लें तथा चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों को ऑनलाइन/ऑफ लाइन पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

7/1/16

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 8/TC / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, यूपी(वेस्ट) एस्सार ऑयल लि0, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचना/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7/1/16

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।